जेम पोर्टल के माध्यम से निविदा हेतु सामान्य नियम एवं शर्ते उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, गोरखपुर क्षेत्र।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि गोरखपुर क्षेत्र के गोरखपुर डिपो कार्यशाला पर (किर्लोस्कर, कमिन्स, लीलैण्ड, महिन्द्रा, जैक्सन) BS-VI साइलेन्ट फीचर ब्रान्डेड कम्पनी के जनरेटर किराये पर लगाये जाने हेतु निविदा **Gem Portal** पर दिनांक 24.07.2024 से दिनांक 06.08.2024 तक आमंत्रित किये जाते है। डिपो कार्यशाला/बस स्टेशन का नाम व विवरण निम्न है–

क्रमांक	क्षेत्र का नाम	जनरेटर स्थापित होने का स्थान	विवरण	संख्या
1	गोरखपुर	टायरशाप/क्षे0 कार्यशाला/सेवा प्रबन्धक कार्यालय	125 के0वी0ए0	1

पात्रता हेतु आवश्यक आहर्तायेः–

1. फर्म के पंजीकरण प्रमाण पत्र की छाया प्रति स्वहस्ताक्षरित।
2. फर्म के पैन कार्ड की छाया प्रति स्वहस्ताक्षरित।
3. फर्म के जी0एस0टी0 पंजीकरण प्रमाण पत्र की छाया प्रति स्वहस्ताक्षरित।
4. फर्म के बैंक एकाउन्ट चालू खाता की पास बुक के प्रथम पृष्ठ की छाया प्रति स्वहस्ताक्षरित (आई0एफ0एस0सी0 कोड)।
5. फर्म का ई0पी0एफ0 कार्यालय में पंजीकृत एवं कर्मचारी अंशदान व नियोक्ता अंशदान का भुगतान गत् माह तक किया जा चुका होने का प्रमाण–पत्र तथा पंजीकृत होने की छायाप्रति होनी चाहिए।
6. ई0एस0आई0 रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की छाया प्रति।
7. विगत 03 वर्षो का आयकर विवरण।
8. आवेदन करने वाले फर्म को उ0प्र0 परिवहन निगम, अन्य प्रान्त के परिवहन निगम अथवा शासकीय विभाग/निगमों में जनरेटर किराये पर लगाये जाने के ऑडर/अनुबन्ध की छायाप्रति एवं उनके द्वारा निर्गत फार्म–16 की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति।
9. विगत् 03 वित्तीय वर्ष का वार्षिक टर्न ओवर का विवरण, सी0ए0 द्वारा प्रमाणित।
10. किसी भी सरकारी विभाग में जनरेटर संचालन का कम से कम 01 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र।
11. निविदा फीस रू0 1180.00 (जी0एस0टी0 सहित) तथा प्रतिभूति धनराशि **रू0–50,000.00/–**(पचॉस हजार रूपया मात्र) का बैंक ड्राफ्ट जो कि क्षेत्रीय प्रबन्धक उ0प्र0परि0निगम,गोरखपुर के नाम देय हो, सेवा प्रबन्धक कार्यालय में टेक्निकल विड खोले जाने के पूर्व अंतिम तिथि तक मूलरूप में जमा करना होगा।
12. निविदा स्वीकृत होने के पश्चात् 15 दिवसों के अन्दर जनरेटर सेट लगाया जाना अनिवार्य होगा तथा उसकी रसीद प्रस्तुत करनी होगी।
13. निविदा की अन्य औपचारिकतायें निविदा दाता द्वारा पूर्ण करनी होगी।
14. किसी भी निविदा को स्वीकार/अस्वीकार किये जाने का अधिकार सक्षम अधिकारी में निहित होगा।
15. इस आशय का नोटरी शपथ पत्र कि फर्म किसी भी सरकारी/अन्य किसी संस्था से ब्लैक लिस्ट नहीं है।
16. फर्म का टर्न ओवर कम से कम एक करोड़ प्रति वर्ष होना चाहिए।
17. जनरेटर किर्लोस्कर, कमिन्स, लीलैण्ड, महिन्द्रा, जैक्सन, आदि के BS-VI साइलेन्ट फीचर ब्रान्डेड कम्पनी का होना चाहिए।

A.A.O. A.R.M. S.M. R.M.

Downloaded From www.upsrtc.up.gov.in

निविदा की आवश्यक नियम/शर्तेः—

1. निविदा के सम्बन्ध में अंतिम निर्णय क्षेत्रीय समिति द्वारा लिया जायेगा। निविदा कार्यवाही को बिना कारण बताये अस्वीकृत/निरस्त करने का अधिकार क्षेत्रीय समिति में निहित होगा, जो कि अन्तिम तथा सर्वोच्च होगा।
2. जनरेटर नया साइलेन्ट फीचर ब्रान्डेड कम्पनी (किर्लोस्कर, कमिन्स, लीलैण्ड, महिन्द्रा, जैक्सन BS-VI) का होना चाहिए तथा आटोमेटिक पैनल (आटो स्टार्ट) हो। पूर्ण क्रय की रसीद संलग्न करें।
3. इच्छुक निविदाकर्ता निविदा फीस रू0 1180.00 (जी0एस0टी0 सहित) एवं अर्नेस्ट मनी रू0— 50,000.00/—की बैंक डिमांड ड्राफ्ट (जो Regional Manager, U.P.S.R.T.C. Gorakhpur को देय होगी) की छायाप्रति अपने ऑफर में संलग्न करनी होगी तथा निविदा की अन्तिम तिथि तक इस कार्यालय में मूलरूप में प्राप्त करानी होगी। जिन फर्म के द्वारा निविदा की निर्धारित तिथि तक निविदा फीस एवं अर्नेस्ट मनी मूलरूप में प्राप्त नहीं करायी जायेगी, उन फर्मो के ऑफर पर विचार नहीं किया जायेगा।
4. जनरेटर का संचालन में समस्त व्यय जैसे जनरेटर के आपरेटर,डीजल मेन्टीनेन्स से सम्बन्धित सामान,कलपुर्जो एवं अन्य कर इत्यादि फर्म द्वारा ही देय होगा।
5. निविदादाता द्वारा जो आफर दिया जाये, 03 वर्ष की अवधि के आधार पर हो तथा उसमें सभी टैक्सों का समायोजन हो।
6. क्षेत्रीय समिति द्वारा एक माह के नोटिस एवं फर्म को तीन माह के नोटिस पर अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा। किसी प्रकार विवाद की स्थिति में परिवहन निगम द्वारा आर्बीटेशन गोरखपुर न्यायालय द्वारा किया जायेगा जिसका निर्णय दोनो पक्षो को मान्य होगा।
7. निविदा स्वीकृत होने के पश्चात् 15 दिवसों के अन्दर नया जनरेटर लगाना अनिवार्य होगा तथा उसकी रसीद कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी अन्यथा की स्थिति में जमा की गयी प्रतिभूति राशि निगम द्वारा जब्त कर ली जायेगी तथा चयनित फर्म का ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।
8. निविदादाता द्वारा जनेटर के मासिक किराये की दर निविदा में दर्शाना होगा। जनरेटर में पावर बैकअप की सुविधा 24 घण्टे के आधार पर उपलब्ध करानी होगी।
9. किराये पर लगे जनरेटर में इलेक्ट्रानिक घण्टा मीटर लगा (inbuilt) होना चाहिए, ताकि टैम्परिंग न की जा सके। अन्य कोई इलेक्ट्रानिक डिवाइस/वाई फाई फिट न हो।
10. जनरेटर की देखभाल, संचालन एवं डीजल फिलिंग आदि कार्य के लिए आपरेटर/कार्मिक की व्यवस्था करना फर्म के लिए अनिवार्य होगी।
11. फर्म द्वारा लगाये गये आपरेटर /कार्मिक प्रत्येक उद्देश्य के लिए फर्म के ही कार्मिक माने जायेगें, उनके देयको के भुगतान तथा फण्ड/बीमा जमा करने की जिम्मेदारी फर्म की होगी।
12. यदि किसी कार्मिक को कार्य करते समय अथवा कार्य पर आते—जाते समय चोट लगती/दुर्घटना होती है तो उसका इलाज एवं क्षतिपूति की भरपाई फर्म को करनी होगी तथा अन्य विधिक उत्तरदायित्व फर्म का होगा।
13. फर्म को जी0एस0टी0, ई0पी0एफ0 नियमानुसार अनुमन्य होगा परिवहन निगम द्वारा सूचना मांगने पर फर्म द्वारा उपलब्ध कराना होगा।

A AO   ARM.   S.M.   R.M.

14. जनरेटर के मासिक किराये एवं डीजल मूल्य का भुगतान प्रथम पक्ष द्वारा परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ से धनराशि प्राप्त होने पर ही किया जायेगा।

15 समस्त करों का भुगतान फर्म द्वारा किया जायेगा, परिवहन निगम अथवा शासन द्वारा भविष्य में दिये गये समस्त निर्देश तथा देयकर आदि निविदादाता फर्म पर लागू होंगे।

16. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से ध्वनि एवं वायु प्रदूषण का अनापत्ति प्रमाण पत्र निविदादाता द्वारा प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, जो कि प्रत्येक छः माह में प्रेषित करना होगा।

17. किसी भी निविदा को स्वीकार/अस्वीकार किये जाने का अधिकार परिवहन निगम के सक्षम अधिकारी में निहित होगा।

18. निविदा स्वीकार होने पर निविदादाता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि एवं उ0प्र0रा0स0 परि0निगम के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के मध्य अनुबन्ध पत्र निस्पादित किया जायेगा एवं अन्य औपचारिकताए निविदादाता द्वारा पूर्ण करनी होगी।

19. जनरेटर में डीजल की वास्तविक खपत को एक समिति द्वारा चेक कराया जायेगा जिसके दो प्रतिनिधि परिवहन निगम के तथा एक प्रतिनिधि फर्म का होगा। उक्त समिति द्वारा सर्वे में प्राप्त खपत एवं फर्म के द्वारा प्रस्तावित खपत में से जो भी कम होगा, के आधार पर डीजल के बाजार मूल्य पर जनरेटर के संचालित घण्टों के अनुसार भुगतान किया जायेगा।

20. जनरेटर को स्थापित किये जाने पर होने वाला व्यय निविदादाता द्वारा वहन किया जायेगा, प्रभारी अग्रजन कार्यशाला/स्टेशन इन्चार्ज द्वारा मात्र जनरेटर स्थापित किये जाने हेतु स्थान उपलब्ध कराया जायेगा। जनरेटर हेतु कोई बैरिकेटिंग निर्माण या एंगल से बंद नहीं कराया जायेगा।

21. फर्म को अपना मासिक बिल जी0एस0टी0 प्रारूप में में प्रत्येक माह की 03 तारीख तक देना होगा।

22. निविदा के सम्बन्ध में समस्त निर्धारित तिथि एवं समय के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय क्षेत्रीय समिति को होगा तथा आवश्यकतानुसार उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। जो समस्त निविदादाता को मान्य होगा।

AAO ARM

(मुकेश कुमार)
सेवा प्रबन्धक

RM

Downloaded From www.upsrtc.up.gov.in

कार्यालय सेवा प्रबन्धक उ0प्र0राज्य सडक परिवहन निगम गोरखपुर।

पत्रांक–जीआर/से0प्र0/सामान्य/जनरेटर/ 1554 दिनॉक–25.7.2024

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–मुख्य प्रधान प्रबन्धक (प्रावि0), उ0प्र0रा0स0 परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ।

2–प्रधान प्रबन्धक प्रावि0 (विविध/एम0आई0एस0),उ0प्र0रा0स0 परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ।

3–क्षेत्रीय प्रबन्धक महोदय, उ0प्र0रा0स0 परिवहन निगम गोरखपुर।

4–नोटिस बोर्ड, जिलाधिकारी महोदय, गोरखपुर को सादर सूचनार्थ।

5–सहायक प्रबन्धक(एम0आई0एस0), उ0प्र0रा0स0परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ को विज्ञप्ति वेवसाईट पर प्रकाशित करने हेतु।

6–सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0रा0स0 परिवहन निगम गोरखपुर/राप्तीनगर/देवरिया/वस्ती/सिद्धार्थनगर/निचलौल/सोनौली/पड़रौना एवं सीनियर फोरमैन टायर शाप को इस निर्देश के साथ कि नोटिस वोर्ड पर चस्पा कराना सुनिश्चित करें।

7–नोटिस वोर्ड क्षेत्रीय प्रवन्धक कार्यालय, उ0प्र0रा0स0 परिवहन निगम गोरखपुर।

सेवा प्रबन्धक